# प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

प्र. ई. रि. स. – ......71/2023...... दिनांक – ......26/3/2023

2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7

(ब) अधिनियम – ............... ...................... धाराये – ................

(स) अधिनियम – ............................................... धाराये – ...................................

(द) अन्य अधिनियम – ........................ धाराये – ................................

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – ..........471...... समय – ........6.20 P.M.,

ब. अपराध के घटने का दिन – शनिवार, दिनांक – 25.03.2023 समय – 01.45 पी.एम.

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 14.03.2023 समय – 11.30 ए.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।

5. घटना स्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उत्तर 50 किलोमीटर लगभग

(ब) पताः– ग्राम बिजारिया बावड़ी तहसील तिंवरी जोधपुर

बीट संख्या जरायमदेही संख्या

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

पुलिस थाना ................................ जिला ..............................

6. परिवादी/सह परिवादी का नाम

1. (अ) नाम – श्री शिवलाल (ब) पिता/पति का नाम – श्री मानाराम जाट

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 22 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – व्यापार (र) पता – ग्राम बिजारिया बावड़ी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

2. (अ) नाम – श्री प्रेम प्रकाश (ब) पिता/पति का नाम – श्री कलाराम जाट

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 26 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – व्यापार (र) पता – ग्राम बिजारिया बावडी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

1. श्री जितेन्द्र परिहार पुत्र श्री बलवीरसिंह परिहार उम्र 28 वर्ष पेशा नौकरी निवासी नयापुरा मथानिया जिला जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल गगाड़ी अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल घेवड़ा, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 6,000/– रू.**

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............. कोई नहीं...........

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट..........................................................................

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
(स्पेशल यूनिट) जोधपुर

विषयः– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने हेतु।

महोदयजी,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं शिवलाल पुत्र श्री मानाराम जाति चौधरी उम्र 22 वर्ष निवासी बिजारिया बावड़ी तहसील तिवंरी जिला जोधपुर का निवासी हूं। मेरे पिताजी श्री मानाराम ने बिजारिया बावड़ी तहसील तिवंरी जिला जोधपुर में श्री अमराराम पुत्र श्री मोतीराम से 1.5 बीघा जमीन खसरा नम्बर 545/2 बिजारिया बावड़ी में खरीदी थी तथा दुसरी जमीन महेन्द्र कुमार पुत्र श्री जवाराराम भादू से 1 बीघा जमीन उक्त खसरे में खरीदी थी। उक्त जमीनो का म्यूटेशन भरने वं जमीन का माप करने हेतु पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार से सम्पर्क किया तो जितेन्द्र परिहार पटवारी ने मुझसे उक्त काम के लिए 7,000 /– रूपये की मांग की तब मेंने कहां कि मेरा पहले काम करो तब उन्होने श्री महेन्द्र कुमार भादू से खरीदी गयी 1 बीघा जमीन का म्यूटेशन पटवारी जी द्वारा माह फरवरी में भर दिया। श्री अमराराम से खरीदी गयी 1.5 बीघा जमीन का म्यूटेशन पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार द्वारा अभी तक नहीं भरा है। मैं म्यूटेशन भरवाने व जमीन नपवाने के लिए पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार से मिला तो पटवारी जी ने इस काम के लिए मुझसे कहां कि तेरा पहला एक म्यूटेशन तो भर दिया है अब आगे के काम के लिए पहले 7,000/– हजार रूपये लाकर देगा तो ही काम होगा। उस समय मेरा भतिजा प्रेमप्रकाश भी मेरे साथ जो पटवारी जी को पूर्व से अच्छे से जानता है तब पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार ने कहां कि मैं अब काम व पैसो की बात तेरे भतीजे प्रेमप्रकाश से ही करूंगा। पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार मेरे पिताजी की उक्त 1.5 बीघा जमीन का म्यूटेशन भरने व जमीन का माप करने के लिए मेरे भतीजे प्रेमप्रकाश से उक्त जमीन के म्यूटेशन की एवज में पैसो की बात कर 7 सात हजार रूपये की मांग कर रहा है। मेरी उक्त जमीन का एक म्यूटेशन व जमीन का माप रिश्वत राशि नहीं देने की वजह से नहीं कर रहा है। मैं अपने जायज काम के लिए पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार को 7000 हजार रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा रिश्वत लेते पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरा जितेन्द्र परिहार पटवारी के साथ किसी प्रकार का लेन–देन बकाया नही हैं, ना ही श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हैं। पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार मेरे पिताजी की उक्त 1.5 बीघा जमीन का म्यूटेशन भरने के सम्बन्ध में मेरे से वार्ता नहीं कर मेरे भतीज प्रेमप्रकाश से ही बार्ता करेगा। मैं अपने पिताजी मानाराम के म्यूटेशन के काम एवं जमीन मापने के काम के लिए मेरे भतीजे प्रेमप्रकाश को उक्त कार्यवाही करने के लिए सहमति देता हूं। अतः रिपोर्ट पेश कर रहा हू कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थना पत्र के साथ मेरा परिचय पत्र की फोटो प्रति व सम्बन्धित कागजात पेश कर रहा हूं।

दिनांक :– 14.03.2023

भवदीय

एसडी/
(शिवलाल पुत्र श्री मानाराम)
जाति चौधरी उम्र 22 वर्ष निवासी बिजारिया
बावड़ी तहसील तिवंरी जिला जोधपुर
96607–72073

मैं श्री प्रेम प्रकाश पुत्र श्री कलाराम जाति जाट उम्र 26 वर्ष निवासी बिजारिया बावड़ी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर का रहने वाला हूं श्री शिवलाल पुत्र श्री मानाराम मेरे काका है जिन्होने उपर लिखित रिपोर्ट दी हैं। इनकी रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही हेतु मैं कार्यवाही करवाने के लिए अपनी इच्छा से सहमत हूं। क्यों कि पटवारी काम व रूपयो की बात मेरे से ही कर रहा है।

एसडी/
(प्रेम प्रकाश)
80033–77074

<u>कार्यवाही पुलिस दिनांक 14.03.2023 समय 11.30 ए.एम.</u>

इस समय परिवादी शिवलाल पुत्र श्री मानाराम व प्रेम प्रकाश पुत्र श्री कलाराम दोनो कार्यालय उपस्थित आकर उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट पेश की। परिवादी की शिवलाल द्वारा अपनी रिपोर्ट में व व्यक्तिश बताया कि आरोपी काम व रूपयों की बात उसके भतीजे प्रेम प्रकाश से ही करेगा क्योकि पहले बात भी इससे ही की थी साथ में। जिस पर परिवादी के साथ उपस्थित प्रेम प्रकाश से भी उसके द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट में दी गई सहमति का पुछने पर बताया कि वह सहमत हैं अपनी ईच्छा से इस रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही हेतु। उक्त रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने से अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

एसडी
शिवलाल

एसडी
प्रेम प्रकाश

एसडी/
(दुर्ग सिंह राजपुरोहित)
अति. पुलिस अधीक्षक
14.03.2023

राकेश कुमार मीणा एसडी/
16.03.2023
महेन्द्र मीणा एसडी/
16.03.2023

एसडी/
राजेन्द्रसिंह
16.03.2023

परिवादी श्री शिवलाल पुत्र श्री मानाराम जाति चौधरी उम्र 22 वर्ष निवासी बिजारिया बावड़ी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर मय सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश पुत्र श्री कलाराम जाति जाट उम्र 26 वर्ष निवासी बिजारिया बावड़ी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर में उपस्थित होकर मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस के समक्ष उपरोक्त तथ्यों की रिपोर्ट पेश की तथा दरियाफ्त पर बताया कि मेरे पिता श्री मानाराम द्वारा गांव बीजारिया बावड़ी में क्रय की गई जमीन के दो म्यूटेशन भरने एवं जमीन का माप करने की ऐवज में श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी 7000/–रूपये रिश्वति राशि मांग रहा है। मगर पटवारी रिश्वति राशि के बारे में मेरे बात व लेन–देन नहीं कर मेरे भतीज श्री प्रेम प्रकाश से कर रहा है। इसलिये उक्त कार्यवाही के लिये मैं श्री प्रेम प्रकाश को अधिकृत करता हूं। श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करावें। साथ ही परिवादी श्री शिवलाल ने अपने पिता श्री मानाराम द्वारा भी अपने पौते प्रेम प्रकाश को कार्यवाही करने के लिये अधिकृत करने का लिखित में पेश किया। वगैरा रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) 2018 का पाया जाने पर जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई तथा श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 का परिवादी सहपरिवादी श्री प्रेम प्रकाश का आपस में परस्पर परिचय करवाया गया व श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 व सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश के मोबाईल नम्बर आपस में आदान–प्रदान करवाये गये। ततपश्चात् उसी रोज दिनांक 14.03.2023 वक्त 01.15 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर श्री रामचन्द्रसिंह कानि0 नम्बर 432 को सुपर्द कर सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश व आरोपी जितेन्द्र परिहार पटवारी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश एवं श्री रामचन्द्र कानि0 नम्बर 432 को आवश्यक हिदायत देकर जरिये सह परिवादी की मोटरसाईकिल के कार्यालय से गांव तिवरीं के लिए रवाना किया गया। तथा परिवादी श्री शिवलाल को कार्यवाही की गोपनीयता रखने की आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। उसी रोज वक्त 05.25 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि0 नम्बर 432 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर उपस्थित आया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपर्द कर बताया कि "मैं व सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश आज दिनांक 14.03.2023 को कार्यालय से सह–परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना होकर गांव तिवरी के तहसील कार्यालय के पास पहुंचे। जहां पर श्री प्रेम प्रकाश सह परिवादी ने मेरे लिये एक मोटर साईकिल की व्यवस्था करने के बाद मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश को सुपुर्द कर आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु तहसील कार्यालय तिवंरी की तरफ उनकी मोटर साईकिल से रवाना किया तथा मै स्वयं तहसील कार्यालय तिवंरी के आस पास गोपनीय रूप से मुकिम रहा। कुछ समय बाद सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश ने मुझे पीछे आने का ईशारा कर अपनी मोटर साईकिल से पुरानी तहसील कार्यालय तिंवरी की तरफ रवाना हुआ। जिस पर

मैं भी सह परिवादी द्वारा उपलब्ध करवाई गई मोटर साईकिल से उनके पीछे–पीछे पुरानी तहसील कार्यालय तिंवरी के पास पहुंचा एवं अपनी उपस्थिति छुपाकर सह परिवादी के आने का इन्तजार किया। कुछ समय पश्चात् सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश पुनः मेरे पास आया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा व सह–परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय तिंवरी के अन्दर गया जहा पर मैंने श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी का पता किया तथा नहीं मिलने पर मैंने मेरे मोबाईल से पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार को फोन करके उनकी उपस्थिति ज्ञात की तो उन्होने अपना पुरानी तहसील कार्यालय में उपस्थित होने बताया जिस पर मैंने आपको ईशारा कर पुरानी तहसील कार्यालय तिंवरी पहुंचा। जहां पर श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी उपस्थित मिला। ज़िनसे मेरी मेरे दादाजी मानारामजी की जमीन का म्यूटेशन भरने के संबंध में वार्ता हुई दौरने वार्ता उक्त जमीन के 2 म्यूटेशन भरने एवं जमीन का माप करने की ऐवज में श्री जितेन्द्र परिहार पटवारीजी ने मेरे से 6–7 हजार रूपये की मांग की है उक्त रिश्वति लेकर मुझे दो दिन बाद आने के लिए कहा है। उक्त वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड है। उसके बाद उपरोक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन के हालात आपको निवेदन कर आपके निर्देशानुसार सह–परिवादी प्रेम प्रकाश को अब तक की कार्यवाही की गोपनीय रखने की हिदायत कर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दो दिन बाद दिनांक 16.03.2023 को 10.00 ए.एम पर मय परिवादी श्री शिवलाल के कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर सह–परिवादी प्रेम प्रकाश को गांव तिवरी में ही रूखसत कर मै गांव तिवरी से रवाना होकर उपस्थित आया हूँ। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उक्त मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो श्री रामचन्दसिंह कानि0 के कथनों की ताईद होकर रिश्वति राशि मांग की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा। दिनांक 16.03.2023 वक्त 12.50 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री शिवलाल व सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये व परिवादी श्री शिवलाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वति राशि 6,000/रूपये की व्यवस्था कर साथ में लेकर आया हूँ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास ए.सी.बी चौकी जोधपुर का अतिरिक्त चार्ज होने एवं दिगर राजकार्य में व्यस्त होने से मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर गोपनीय कार्यवाही से अवगत करवाया जाकर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री शिवलाल व सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश का मन् निरीक्षक पुलिस का आपसी परिचय करवाकर परिवादी श्रीं शिवलाल द्वारां पेश प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तवेजात का अवलोकन करवाकर एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश व आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री शिवलाल व सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश व परिवादी के प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तवेजात एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया व परिवादी श्री शिवलाल व सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश से आवश्यक पुछताछ कर परिवादी श्री शिवलाल द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश व आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वति राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा सुरक्षित में रखा। तत्पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर के नाम पत्र कमांक 318 दिनांक 16.03.2023 जारी कर कार्यालय के श्री अर्जुनसिह कानि.नम्बर 319 को सुपुर्द कर दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु रवाना कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर किया गया व ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु श्री रामकिशोर हैड कानि नम्बर 56 ए.सी.बी.जोधपुर को कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु जरिये दुरभाष निर्देशित किया गया। उसी रोज कुछ समय बाद श्री अर्जुनसिह कानि. नम्बर 319 कार्यालय कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर से दो कार्मिको के कार्यालय उपस्थित आया। मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो कार्मिको को अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना परिचय बारी–बारी से श्री राकेशकुमार पुत्र श्री भगवान सहाय मीणा जाति मीणा उम्र 39 साल निवासी माधवनगर मोडा बालाजी रोड वार्ड नम्बर 02 दौसा हाल कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर, मोबाईल 9929345950 एवं श्री महेन्द्र मीणा पुत्र श्री रामफूल मीणा जाति मीणा उम्र 33 साल निवासी ग्राम पोस्ट गोठडा तहसील व जिला दौसा हाल कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर, मोबाईल 7014589918 होना बताया। जिस पर उक्त दोनो कार्मिको को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाकर कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री शिवलाल व सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश का आपसी परिचय दोनो कार्मिको से करवाया गया एवं परिवादी श्री शिवलाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढ़वायी गयी व कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश व आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश दोनो कार्मिको को सुनवाये गये। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अग्रिम कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी। जिस पर श्री शिवलाल की रिपोर्ट एवं दस्तावेजों पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा दिनांकित हस्ताक्षर किये। इसी दौरान ए.सी.बी चौकी जोधपुर शहर से श्री रामकिशोर हैड कानि. नम्बर 56 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। ततपश्चात् वक्त 02.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश कुमार मीणा व श्री महेन्द्र मीणा के रू–ब–रू एवं सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश की उपस्थिति में परिवादी श्री

शिवलाल पुत्र श्री मानाराम जाति चौधरी उम्र 22 वर्ष निवासी बिजारिया बावड़ी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर ने आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री शिवलाल ने भारतीय मुद्रा के पांच सौ–पांच सौ रूपयें के 12 नोट कुल राशि 6,000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री शिवलाल द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर फर्द पेंशकशी में अंकित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

| | | |
|---|---|---|
| 01. | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 LE 988973 |
| 02. | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 2 US 196725 |
| 03. | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 1 MT 763189 |
| 04. | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 6 AD 361419 |
| 05. | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 5 EV 715978 |
| 06. | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 7 DL 122726 |
| 07. | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 4 AP 316382 |
| 08. | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 9 SS 038306 |
| 09. | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 5 BB 477888 |
| 10. | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 GL 091923 |
| 11. | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 GF 021990 |
| 12. | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 7 KF 466785 |

श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 6000/– रूपये के नोटों पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से नोटो को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश की जामा तलाशी गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से लिवाई जाकर मोबाईल फोन सह परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 6000/–रूपये जो श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी को दी जानी है, की राशि के नोटों को सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में 500–500 रूपये के 12 नोट कुल राशि 6000/–रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर कर या मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9414169480 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लाने वाली महिला कानि. श्रीमती सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री शिवलाल व सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश को छोडकर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 2,000 रूपये अपने पास रखे। उक्त कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द में अंकित किया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि व द्रष्टान्त फिनॉफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 03.00 पी.एम पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री

शिवलाल को तिवरी तहसील कार्यालय के पास मिलने की हिदायत देकर तिंवरी के लिये रवाना किया मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री राकेशकुमार मीणा व श्री महेन्द्र मीणा मय सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश व ब्यूरो स्टॉफ श्री रामकिशोर हैड कानि. नम्बर 56 श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 श्री अर्जुनसिह कानि. नं. 501, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 मय कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉइस रिकार्डर, लेपटोप प्रिन्टर ट्रेप बाक्स व अन्य सामग्री, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय जरिये सरकारी वाहन टवेरा, निजी वाहन मय चालक प्रेमसिह नं. 535 व श्री प्रकाश कानि. नं. 265 के कार्यालय से गांव तिंवरी की तरफ रवाना होकर वक्त 04.02 पी.एम. पर तहसील कार्यालय तिंवरी के पास पहुंचे तथा सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश से अपने स्तर पर गोपनीय रूप से आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी की उपस्थिति के बारे में पता करवाया गया तो ज्ञात हुआ कि श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी तिवरीं कस्बे से कही बाहर गया हुआ है तथा करीब डेढ घन्टे बाद तहसील कार्यालय में पहुंचने की सम्भावना है। जिस पर वही उपस्थित रहकर पटवारी के आने का इन्तजार किया। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री शिवलाल मय मोटर साईकिल के उपस्थित आया जिन्हें सरकारी वाहन में अपनी उपस्थिति छुपाने हेतु बिठाया गया एवं मोटर साईकिल सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश को सुपुर्द करवाई गई। वक्त 05.11 पी.एम. पर आरोपी की उपस्थिति बाबत सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश के मोबाईल नम्बर 800337704 से आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के मोबाईल नम्बर 8387094733 पर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई। वार्ता के दौरान जितेन्द्र परिहार पटवारी ने सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश को तहसील कार्यालय में बुलाया। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात् वक्त 05.20 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑन शुदा सुपुर्द कर आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी से सम्पर्क कर रिश्वति राशि आदान प्रदान करने हेतु आवश्यक हिदायत के उनकी मोटर साईकिल से तहसील कार्यालय के लिये रवाना किया गया एवं उनके पीछे–पीछे श्री रामचन्द्रसिंह कानि0 को आवश्यक हिदायत के साथ रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के अपनी–अपनी पोजिशन लेकर सह परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार किया। वक्त 05.55 पी.एम. पर सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश बिना कोई ईशारा किये तहसील कार्यालय से बाहर आया एवं अपनी मोटर साईकिल लेकर तहसील कार्यालय मैन गेट के सामने दुसरी तरफ बने एडवोकेट कक्ष के आगे जाकर रूका एवं मोटर साईकिल खड़ी कर ऐडवोकेट कक्ष में प्रवेश किया। कुछ समय रूकने के बाद सह परिवादी बिना कोई ईशारा किये मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आकर स्वीच ऑन शुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया जिसका मैंने स्वीच ऑफ किया। सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश ने बताया कि तहसील कार्यालय तिंवरी में श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी मुझे उपस्थित मिला मगर उन्होने रिश्वति राशि प्राप्त नहीं कर एक पेपर पर यह लिखकर बताया कि मार्च का महीना है अभी सकताई है। बाद में आना। जिस पर मैंने बाद में आने में असमर्थता जताने पर उन्होने कहा कि आप मुकेशजी वकील साहब को राशि दे दो। जिस पर मैं तहसील कार्यालय से रवाना होकर मुकेशजी वकील साहब के कार्यालय के कक्ष में गया जहां पर मुझे मुकेशजी नहीं मिले। उनके कार्यालय का स्टाफ मिला जिनसे मुकेशजी के उपस्थिति के बारे में पुछने पर उन्होने मुकेशजी का बाहर होना बताया। जिस पर मैंने थोड़ी देर इन्तजार करने के बाद बिना ईशारा किये उपस्थित आया हूं। साथ ही बताया कि श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी ने मुझे मेरी दादा की जमीन मापने ने लिये साथ चलने के लिये दो तीन दिन बाद पुनः बुलाया है। इसी दरम्यान वक्त 06.06 पी.एम. पर आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार के मोबाईल नं0. 8387094733 से सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश के मोबाईल नं. 8003377074 के फोन पर कॉल आया जिस पर सह परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई वार्ता के दौरान सह परिवादी द्वारा आरोपी को कहा गया कि वकील साहब नहीं मिले है जिस पर आरोपी द्वारा सह परिवादी को कहा गया कि आज आप निकल जाओ। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। इस प्रकार उस रोज ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं होने के कारण आईन्दा सह परिवादी को आरोपी द्वारा बुलाने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी की पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखी रिश्वति राशि गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से निकलवाई जाकर एक सफेद लिफाफे में डालकर सफेद लिफाफे को गाड़ी की डेस बोर्ड में रखवाया गया। परिवादी व सह परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर जब भी आरोपी पटवारी द्वारा बुलाया जावे तो तुरन्त ब्यूरो कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। ताबाद मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के कस्बा तिवरी से निजी व सरकारी वाहन से ब्यूरो कार्यालय जोधपुर के लिये रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय जोधपुर पहुंचे। सरकारी गाड़ी के डेस्क बोर्ड की दराज से रिश्वति राशि 6,000/ रूपयें का सफेद लिफाफा मन् निरीक्षक पुलिस नें निकाल कर परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली व डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई जाकर चाबी अपनें पास रखी गई। ब्यूरों स्टॉफ व दोनों स्वतन्त्र गवाह को कार्यवाही की गोपनीयता रखनें एवं बुलाने पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। दिनांक 24.03.2023

को वक्त 10.16 ए.एम. पर सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश के मोबाईल नं. 8003377074 से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9414169480 पर कॉल आया व बताया कि पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार ने मेरे घर समाचार भिजवाये है कि कल आपकी जमीन का माप कर दुंगा। आप प्रेम प्रकाश को मेरे पास भिजवा दो। इसलिये कल पटवारी मुझे बुला सकता है वहां रिश्वत राशि का लेन–देन कर सकता है। जिस पर सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश को हिदायत की गई कि जैसे ही आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी आपको बुलाता है तुरन्त इस कार्यालय में उपस्थित आवें। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान को जरिये टेलीफोन सूचित कर पाबन्द किया गया कि कल प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही का आयोजन हो सकता है। इसलिये आप कल दिनांक 25.03.2023 को प्रातः 08.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आवें। ब्यूरो जाब्ता को भी पाबन्द किया गया कि प्रातः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित मिले। दिनांक 25.03.2023 को वक्त 08.05 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश से जरिये फोन वार्ता कर पटवारी से सम्पर्क होने के बारे में पुछा गया तो सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार का उनके मोबाईल नं. 8387094733 से मेरे मोबाईल नं. 8003377074 पर फोन आया। पटवारी ने मुझे आज पुरानी तहसील कार्यालय तिवरी में बुलाया है तथा शीघ्र आने को कहा है। इसलिये मैं आपको 12वीं रोड़ चौराहा जोधपुर पर मिलता हूं। आप शीघ्र रवाना हो जाये। मन् निरीक्षक पुलिस ने सह परिवादी को यह भी बताया कि आप परिवादी श्री शिवलाल को पाबन्द करे की वह भी तिवरीं कस्बे से पहले बालरवा रोड़ बिजलीघर के सामने उपस्थित मिले। वक्त 08.35 ए.एम. पर पुर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री राकेशकुमार मीणा व श्री महेन्द्र मीणा व ब्यूरो चौकी जोधपुर शहर से श्री रामकिशोर हैड कानि. नं. 56, श्री छैलाराम कानि नम्बर 46 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने कार्यालय की अलमारी का ताला खोलकर गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से रिश्वति राशि रखी का लिफाफा सुरक्षित निकलवाया जाकर आवश्यक हिदायत के साथ उन्हीं के पास रखा गया। तत्पश्चात वक्त 09.15 ए.एम. पर मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री राकेशकुमार मीणा व श्री महेन्द्र मीणा ब्यूरो स्टाफ श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री रामकिशोर हैड कानि. नं. 56, श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432, श्री अर्जुनसिंह कानि. नं. 501, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373, श्री छैलाराम कानि.नम्बर 46, श्री गणेश कानि. नम्बर 219 एवं ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय की अलमारी से कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली को साथ लेकर सरकारी टवेरा आरजे 14 यूसी 8906 मय चालक श्री प्रेमसिह कानि.535 एवं अपनी निजी कार के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट जोधपुर से रवाना होकर 12वीं रोड़ चौराहा पर पहुंचे। जहां पर सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश उपस्थित मिला। जिनसे परिवादी श्री शिवलाल को पाबन्द करने के सम्बन्ध में पुछने पर बताया कि श्री शिवलाल को मैंने जरिये फोन पाबन्द कर दिया है कि वह तिवरीं कस्बे से पहले बालरवा रोड़ बिजलीघर के सामने उपस्थित मिलेगा। ताबाद समस्त हमरायान के ग्राम तिंवरी के लिये रवाना होकर वक्त 10.20 ए.एम. पर तिवरीं कस्बे से पहले बालरवा रोड़ बिजलीघर के सामने पहुचें जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री शिवलाल मय अपनी मोटर साईकिल के उपस्थित मिला। जहां पर रूबरू गवाहान श्री महेन्द्र मीणा गवाह से सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई राशि वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात् गवाह श्री राकेश कुमार मीणा को निर्देशित किया गया कि साथ लाई रिश्वति राशि लिफाफे से निकालकर नोटों को उपर नीचे कर सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखवाये तथा सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश को हिदायत दी गई कि उक्त राशि को रास्ते में नहीं छुए तथा आरोपी पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार द्वारा मांगने पर ही उन्हें रिश्वति राशि निकाल कर देवें। तत्पश्चात श्री राकेश कुमार मीणा से रिश्वति राशि रखा लिफाफे को जलाकर नष्ट करवाया गया एवं उनके हाथ गाड़ी में साथ लाये साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये तथा साथ लाये कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के संचालन की विधि श्री प्रेम प्रकाश सह परिवादी को भलीभांति समझाकर स्वीच ऑफ शुदा उन्हें सुपुर्द किया एवं हिदायत दी गई कि आपका पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार से सम्पर्क होने पर जब भी रिश्वति राशि लेन–देन की सम्भावना हो तो किसी बहाने एक तरफ जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर रिश्वति राशि लेन–देन की वार्ता को रिकार्ड करे तथा रिश्वति राशि लेन–देन हो जाने के बाद तुरन्त पुनः डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखे। ताबाद आवश्यक हिदायत के साथ सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश व श्री रामचन्द्र कानि. को परिवादी श्री शिवलाल की मोटर साईकिल से आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी से सम्पर्क कर रिश्वति राशि आदान–प्रदान करने हेतु पुरानी तहसील कार्यालय तिवरी के लिये रवाना किया गया तथा परिवादी श्री शिवलाल को आवश्यक हिदायत के साथ मेरी निजी कार में बिठाया गया एवं निजी कार व उसमें बैठा जाब्ता श्री अर्जुनसिंह कानि. , श्री देवाराम कानि., श्री छैलाराम कानि., श्री गणेशराम कानि. (चालक) को आवश्यक हिदायत के साथ अपनी व अपने वाहन की उपस्थिति छुपाते हुए पुराने तहसील कार्यालय तिवरी के पास उपस्थित रहकर मन् निरीक्षक पुलिस

के फोन का इन्तजार करें। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस, हमराह दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राकेश कुमार मीणा व श्री महेन्द्र मीणा व ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिशोर हैडकानि., श्री मेघराज हैड कानि. के मय सरकारी वाहन मय चालक श्री प्रेमसिंह के सह परिवादी की मोटर साईकिल के पीछे पीछे रवाना होकर पुरानी तहसील कार्यालय तिंवरी के पास पहुंचा एवं अपनी–अपनी पोजीशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार किया। वक्त 10.50 ए.एम. पर सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश जो पुरानी तहसील कार्यालय के सामने खड़ा था तथा मन् निरीक्षक पुलिस की निगरानी में था जिसके पास एक व्यक्ति चैक्स का शर्ट एवं डार्क ग्रे रंग की पेन्ट पहने हुए ऐक्टिवा गाड़ी से आकर रूका। और कुछ देर वार्ता करने के बाद सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश तथा पास आया व्यक्ति अपनी–अपनी गाड़ियो से बालेसर रोड़ की तरफ रवाना हुए। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पोजीशन लिये बैठे जाब्ते एवं गवाहान को साथ लेकर उनके पीछे–पीछे मय सरकारी वाहन मय चालक के बालेसर रोड़ की तरफ रवाना हुए। कानि. श्री रामचन्द्रसिंह ने बताया कि सह परिवादी से आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार से मेरे सामने जरिये टेलीफोन वार्ता हुई वार्ता के दौरान आरोपी ने परिवादी की जमीन मापने के लिये उनके गांव बिजारिया बावड़ी चलने की बात कही है। इसी दरम्यान कानि. श्री रामचन्द्रसिंह के फोन पर सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश का फोन आया जिस पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. ने वार्ता कर सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश से मन् निरीक्षक पुलिस की वार्ता करवाई वार्ता के दौरान सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश ने बताया कि श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी मेरे दादा श्री मानाराम की जमीन का माप करने बिजारिया बावड़ी चल रहा है तथा माप करने के बाद रिश्वति राशि प्राप्त कर सकता है मगर माप की जाने वाली भूमि आम रास्ते पर है तथा वाहनों का आवागमन बहुत कम है। ऐसी स्थिति में आपका वाहन अगर आरोपी देखता है तो उसे शक हो जायेगा इसलिये आप अपने वाहन सहित माप स्थल से करीब 800–900 मीटर पहले तिवरी–बालेसर रोड़ पर स्थित नहर चौराहा बिजारिया बावड़ी से कुछ दुरी पूर्व पर रूककर मेरे फोन का इन्तजार करें। मैं लेन–देन होते ही आपको फोन कर ईशारा कर दुंगा। जिस पर सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश को निर्देशित किया गया कि लेन–देन की सम्भावना होने पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर किसी भी सुरत में ऑन कर लेन–देन की वार्ता को रिकार्ड करे तथा बाद लेन–देन डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑफ करना सुनिश्चित करे साथ ही रिश्वति राशि प्राप्त करने के बाद तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस को फोन कर सूचित करें। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा समस्त हमरायान के सरकारी वाहन सहित प्रेम प्रकाश द्वारा बताये गये चौराहा से कुछ दूरी पहले पहुंच कर वहां खड़े रहकर सह परिवादी के फोन का इन्तजार में व्यस्त हुए। वक्त 01.45 पी.एम. पर सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल कर बताया कि श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी द्वारा रिश्वत राशि मेरे दादा मानाराम जी के घर पर ही कमरे के आगे प्राप्त कर ली है एवं तिवरीं की ओर अपनी ऐक्टिवा से रवाना हो रहे है तथा बताया पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार के डार्क ग्रे कलर की पेन्ट एवं चैक्स का शर्ट पहने हुए है। मैं भी उनकी निगरानी रखते हुए अपनी मोटर साईकिल से उनके पीछे–पीछे आ रहा हूं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस दोनो मौतबिरान एवं समस्त हमरायान के टवेरा गाड़ी से तिवरी–बालेसर रोड से रवाना होकर कुछ दुरी आगे नहर चौराहा बिंजारिया बावड़ी पर पहुंचा। जहां पर बिजारिया बावड़ी की ओर से एक ऐक्टिवा एवं मोटरसाईकिल आती हुई दिखाई दी। ऐक्टिवा परिवादी द्वारा बताये हुलये का व्यक्ति चला रहा था। जिस पर दोनो गाड़ियों को रूकवाया गया एवं मोटर साईकिल पर बैठे सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश को दिया गया वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ शुदा प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात सह परिवादी प्रेम प्रकाश ने ऐक्टिवा गाड़ी पर डार्क ग्रे कलर की पेन्ट एवं चैक्स का शर्ट पहने बैठे व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी है जिन्होने थोड़ी देर पहले मेरे दादा श्री मानाराम जी के घर पर ही उनके नाम के दो म्यूटेशन भरने की ऐवज में 6000/–रूपये एवं आज उक्त जमीन का माप करने की ऐवज में और राशि की मांग करने पर मैंने मेरे चाचा श्री आईदान राम से प्राप्त कर दो हजार रूपये दिये है जो इन्होंने प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायी जेब में रखे है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस उपरोक्त मौतबिरान एवं हमराह जाब्ता का ऐक्टिवा गाड़ी पर बैठे व्यक्ति को परिचय देकर उनसे उनका परिचय पुछा गया तो उसने अपना नाम जितेन्द्र परिहार पुत्र श्री बलवीरसिंह परिहार उम्र 28 वर्ष पेशा नौकरी निवासी नयापुरा मथानिया जिला जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल गगाड़ी अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल घेवड़ा जिला जोधपुर होना बताया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा जितेन्द्र परिहार से सह परिवादी की ओर ईशारा कर पुछा गया कि क्या आप इन्हें जानते है तथा इनसे अभी कोई राशि प्राप्त की है तो श्री जितेन्द्र परिहार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं इन्हें जानता हूं यह श्री प्रेम प्रकाश चौधरी है जो आज मेरे से मिला एवं अपने दादा श्री मानाराम द्वारा खरीद की गई दो जमीनों को माप करवाने का कहने पर मैंने श्री मानाराम जी के नाम खरीद की गई जमीन का माप आज किया गया है। मैंने इनसे कोई राशि नहीं मांगी है इन्होने अपनी खुशी से राशि दी है जो मैंने मेरी पेन्ट की जेब में रखी है। जिस पर उक्त चौराहा आम रास्ता होने एवं अग्रिम कार्यवाही वहां रास्ते पर सम्भव नहीं होने पर उपस्थित ब्यूरो जाब्ता से आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार के दोनो हाथ

कलाई के उपर से पकड़वाकर यथा स्थिति में गाड़ी में बिठाया गया एवं श्री मेघराज हैड कानि. को आरोपी की ऐक्टिवा गाड़ी लेकर एवं सह परिवादी को उनकी मोटर साईकिल से पुलिस चौकी तिंवरी के लिये रवाना किया गया। ताबाद मन् निरीक्षक पुलिस दस्तायाब शुदा आरोपी एवं समस्त हमरायान के टवेरा गाड़ी से रवाना होकर पुलिस चौकी तिंवरी पहुंचे। जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अन्य जाब्ता व परिवादी श्री शिवलाल जो मन् निरीक्षक पुलिस की निजी कार में तिंवरी के पास ही उपस्थित थे जिन्हें पुलिस चौकी तिंवरी पहुंचने के निर्देश देकर उपस्थिति प्राप्त की गई। पुलिस चौकी तिवरीं में उपस्थित श्री राजुराम उप निरीक्षक पुलिस से स्वीकृति प्राप्त कर रूबरू गवाहान के अग्रिम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। टवेरा वाहन से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में तिंवरी पुलिस चौकी में रखें पानी के कैम्पर में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच की गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच. -1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी की जामा तलाशी लिरवाई गई तों आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायी जेब से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये नोट मिले। उक्त नोटों को गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से गिनवाये गये तो एक छोटा बण्डल जिसमें 500-500 रूपये के 12 कुल राशि 6000/-रूपये जिस पर पूर्व मे मुर्तिबा फर्द पेशकशी गवाह श्री महेन्द्र मीणा को सुपुर्द कर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरो का मिलान बरामद राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हुबहु होना पाये गये। उक्त भारतीय मुद्रा 6000/-रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के पहने हुई पेन्ट की आगे बायी जेब में ही उपरोक्त राशि के अलावा 500-500 रूपये के 4 नोट कुल राशि 2000/-रूपये मिले। आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार से उपरोक्त मिली राशि के बारे में पुनः पुछने पर आरोपी ने कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया तथा रोने लगा तथा कहा कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करों। जिस पर पास ही खड़े सह परिवादी ने बताया कि श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी ने मेरे दादा श्री मानाराम जी द्वारा ग्राम बिंजारिया बावड़ी में दो जगह जमीन कय की गई। जिसका म्यूटेशन भराने एवं उक्त कय की गई जमीन का माप कराने के लिये आज से करीब 10-12 दिन पहले मैं व मेरे काका श्री शिवलाल पुत्र श्री मानाराम मिले तो श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी ने मेरे दादा के नाम का म्यूटेशन भरने एवं जमीन मापने की ऐवज में 6000/-रूपये रिश्वत की मांग की तथा साथ ही कहा कि आप अपने चाचा श्री शिवलाल को साथ मत लाना। मैं इनसे वार्ता व लेन-देन नहीं करूंगा क्योकि मुझे इन पर विश्वास नहीं है। जिस पर मेरे दादा श्री मानाराम से विचार-विमर्श कर मैं व श्री शिवलाल ब्यूरो कार्यालय पहुंचकर पटवारी श्री जितेन्द्र के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई तथा मांग सत्यापन के दौरान श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी ने मेरे से 1100/-रूपये प्राप्त कर 6-7 हजार रूपये और देने की बात कही तथा आज मेरे दादा की उपरोक्त कय की गई जमीन का माफ कर उनके द्वारा तय की गई राशि मांगने पर मैंने 6000/-रूपये इनको दिये तो इन्होंने उक्त राशि 6000/-रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की बाई जेब में रखे तथा कहा कि माप के 3000/-रूपये और लगगें। जिस पर मेरे द्वारा राशि कम करने का आग्रह करने पर 2000/-रूपये लेने के लिये सहमत हुए। जो राशि मेरे पास नहीं होने के कारण मैंने मेरे चाचा श्री आईदानराम पुत्र श्री मानाराम से प्राप्त कर इन्हें दिये जो राशि इन्होने अपनी पहनी हुई पेन्ट के आगे की बायी जेब में रखे है। साथ ही सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश ने बताया कि लेन-देन के वक्त मेरे व पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार के मध्य जो वार्ता हुई मैंने आपके निर्देशानुसार ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की है। उपस्थित परिवादी श्री शिवलाल ने भी अपने पिताजी के नाम कय की गई जमीन का म्यूटेशन भरने की ऐवज में पटवारी श्री जितेन्द्र परिहार द्वारा 6000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग करना, आईन्दा इस सम्बन्ध में वार्ता व लेन-देन मेरे से नहीं करने की बात कही गई इसलिये मैं प्रेमप्रकाश के साथ नहीं रह कर ब्यूरो टीम के

साथ रहा। जिस पर उक्त राशि 2000/–रूपये को भी रिश्वति राशि मानते हुए कब्जा ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी की जामा तलाशी में ही पहने हुई पेन्ट की दुसरी जेब में एक ओपो कम्पनी का ड्यूल सिम मोबाईल मिला। जिसके आईएमईआई नम्बर 1.869875042174453 2. 869875042174446 जिसमें एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 8387094733 होना पाया गया। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी जितेन्द्र परिहार के पेन्ट की इसी जेब में स्वयं का निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र व एक चाबी मिली। चाबी के बारे में पुछने पर उसने बताया कि मेरे कार्यालय पुरानी तहसील पर लगे लॉक की चाबी हैं। पहचान पत्र व चाबी को श्री जितेन्द्र परिहार को पुनः लौटाया गया। तत्पश्चात् रिश्वति राशि बरामदगी स्थान आरोपी के पहने हुई पेन्ट की आगे की बायी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होनें के कारण आरोपी के पहननें के लिए दूसरी पेन्ट की व्यवस्था की जाकर आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के पहनी पेन्ट कों उतरवाया जाकर दूसरी पेन्ट पहनवाई गई। उक्त पेन्ट की आगे की बायी जेब जहां से रिश्वति राशि 6000+2000/–रूपये बरामद हुई, का धोवन लेने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू एक कॉच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। आरोपी के पहनी हुई पेन्ट के आगे की बायी जेब को उल्टा करवाकर उक्त तैयार घोल में डुबाया गया तों धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया गया। उक्त पेन्ट जिसके आगे की बायी जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई है, उक्त पेन्ट की बायी जेब को सुखाकर पेन्ट की बायी जेब पर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में डलवाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर थैली को शील्ड मोहर कर मार्क पी अंकित किया गया। ततपश्चात आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार से परिवादी के पैण्डिंग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेजों के बारे में पुछा गया तो उन्होने उक्त दस्तावेज अपने कार्यालय पुरानी तहसील में होना बताया गया जो पृथक से जरिये फर्द कब्जा ब्यूरो लेने का निर्णय लिया गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही मुर्तिब की जाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाकर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् ब्यूरो स्टाफ को ट्रेप बॉक्स मय मालखाना आर्टिकल को सुपुर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस हमराह स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री राकेशकुमार मीणा मय दस्तयाबशुदा आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार ब्यूरो स्टाफ श्री अर्जुनसिह कानि. 319 श्री गणेश कानि. 219 सरकारी वाहन मय चालक के परिवादी के पेण्डिग कार्य से संबंधित दस्तावेजात प्राप्त करने हेतु पुरानी तहसील कार्यालय तिंवरी रवाना होकर पुरानी तहसील कार्यालय तिंवरी पहुंचा। जहां तलविदा शुदा तहसीलदार तिवरी श्री भंवरलाल मीणा उपस्थित मिले। जिस पर स्वतन्त्र गवाहान एवं श्री भवरलाल मीणा तहसीलदार तिवरी की उपस्थिति में आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी से कार्यालय का ताला खुलवाकर आरोपी के बतायेनुसार तहसील कार्यालय की टेबल पर श्री मानाराम के नाम के दो मूल म्यूटेशन मय बेचान पत्र की फोटोप्रतियां आदि दस्तावेज पड़े मिले जो प्रकरण में वांछित होने के कारण दस्तावेजों की फोटो प्रतियां करवाकर, फोटो प्रतियां श्री भंवरलाल तहसीलदार से प्रमाणित करवाई जाकर प्रथम पृष्ट व अन्तिम पृष्ट पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षकर करवाकर जरिये फर्द जब्ती कब्जा ब्यूरो लिये गये। ताबाद पुरानी तहसील कार्यालय तिंवरी का पुनः ताला लगाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान एवं तहसीलदार तिंवरी के अपने–अपने वाहने से रवाना होकर वक्त 05.05 पी.एम. पर पुलिस चौकी तिंवरी पहुंचा। ततपश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार व ट्रेप बॉक्स ब्यूरो जाब्ता को आवश्यक हिदायत के साथ सुपुर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस हमराह स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री राकेशकुमार मीणा व श्री महेन्द्र मीणा मय परिवादी श्री शिवलाल व सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश मय ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63 को साथ लेकर घटना स्थल का निरीक्षण करने हेतु परिवादी के निवास स्थान के लिये सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर ग्राम बीजारिया बावड़ी स्थित परिवादी श्री शिवलाल पुत्र श्री मानाराम के निवास स्थान पर पहुंचा। वक्त 6.00 पी.एम. पर रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री शिवलाल की उपस्थिति में सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं हालात मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री मेघराज हैड कानि. 63 की हस्तलिपि में मुर्तिब किया गया। फर्द पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद समस्त हमरायान के जरिये सरकारी वाहन पुलिस चौकी तिंवरी के लिये रवाना पुलिस चौकी तिंवरी पहुंचा व आरोपी व ट्रेप बॉक्स को स्वंय के जिम्मे लिया। तत्पश्चात् वक्त 07.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री जितेन्द्र परिहार पुत्र श्री बलवीरसिंह परिहार उम्र 28 वर्ष पेशा नौकरी निवासी नयापुरा मथानिया जिला जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल गगाड़ी अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल घेवड़ा, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर को रूबरू

मौतबिरान उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् वक्त 07.40 पी.एम. पर मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री राकेशकुमार मीणा व श्री महेन्द्र मीणा मय परिवादी श्री शिवलाल व सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश मय ब्यूरो स्टाफ एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के फर्दातनुसार मालखाना आईटम एवं रिश्वति राशि एवं ट्रेप सामग्री को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन एवं निजी वाहन से पुलिस चौकी तिंवरी से रवाना होकर ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर पहुंचे एवं फर्दातानुसार प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल, आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के दोनों हाथों के धोवन के शील्ड शुदा शीशीयां मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायीं जेब लिया गया धोवन की शील्ड शुदा शीशीयां मार्क पी–1 व पी–2, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई डार्क ग्रे कलर की पेन्ट का शील्ड शुदा एक पैकेट मार्क–पी, रिश्वति राशि 6,000/–रूपये कपड़े के टुकड़े में शील्ड चिट शुदा, व परिवादी की जमीन मापने की ऐंवज में मौके पर प्राप्त की गई राशि 2000/रूपये खुली हालत में एवं आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी का एक ओपो कम्पनी का ड्यूल सिम मोबाईल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 869875042174453 2. 869875042174446 जिसमें एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 8387094733 को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नं. 63 को सुरक्षित हालात में सम्भलाये जाकर जमा मालखाना करवाये गये एवं कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावली, डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। दोनो स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री राकेशकुमार मीणा व श्री महेन्द्र मीणा मय परिवादी श्री शिवलाल व सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश को दिनांक 26.03.20232 को समय 08.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदातय देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। इसके बाद आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी का मेडिकल चैकअप एवं सुरक्षित हवालात में जमा करवाने हेतु श्रीमान मेडिकल ऑफिसर राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के नाम पृथक पृथक तहरीर जारी कर श्री छैलाराम कानि.नम्बर 46 श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 श्री अर्जुनसिह कानि. नं. 319, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373, मय आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8906 मय चालक श्री प्रेमसिह कानि. को रवाना सेटेलाईट हॉस्पिटल पावटा जोधपुर को किया। वक्त 09.20 पी.एम. पर आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी का मेडिकल चैकअप एवं पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में दाखिल करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। दिनांक 26.03.2023 वक्त 08.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री राकेशकुमार मीणा व श्री महेन्द्र मीणा व परिवादी श्री शिवलाल व सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। तत्पश्चात वक्त 08.15. ए. एम. पर सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राकेश कुमार मीणा व श्री महेन्द्र मीणा की उपस्थिति में दिनांक 14.03.2023 को सह परिवादी एवं श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन की रूबरू हुई वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीलट वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त रिकार्डर को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व सहपरिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश ने अपनी व श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी की आवाज की पहचान की। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मुल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. को सुपुर्द करं जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 10.05 ए.एम. पर सह–परिवादी श्री प्रेम प्रकाश एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राकेश कुमार मीणा व श्री महेन्द्र मीणा की उपस्थिति में दिनांक 16.03.2023 को सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश एवं आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के मध्य रिश्वती राशि लेन–देन पूर्व हुई 2 टेलीफोनिक वार्ता एवं 1 बार हुई रूबरू वार्तालाप एवं दिनांक 25.03.2023 को रिश्वति राशि लेन–देन से पूर्व सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश एवं आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के मध्य हुई 1 बार टेलीफोनिक वार्ता तथा दिनांक 25.03.2023 को ही सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश एवं आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के मध्य हुई वक्त रिश्वति राशि लेन–देन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त रिकार्डर को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व सहपरिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वति राशि लेन–देन से पूर्व एवं वक्त रिश्वत राशि लेन–देन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं में सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश ने अपनी व आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार

पटवारी की आवाज की पहचान की। उक्त वार्तालापों की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मुल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से दिनांक 14.03.2023 को वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी द्वारा सह परिवादी श्री प्रेम प्रकाश से उसके दादा श्री मानाराम के नाम ग्राम बीजारिया बावड़ी में क्य की गई जमीन के दो म्यूटेशन भरने की ऐवज में तथा उक्त क्य की गई जमीन का माप करने की ऐवज में 6–7 हजार रूपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टि होना एवं दिनांक 25.03.2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का लिया गया धोवन का र रंग हल्का गुलाबी व बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना, आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के पहनी पेन्ट की आगे की बायीं जेब का धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त होना तथा रिश्वति राशि 6,000/रूपयें रूबरू गवाहान के आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायीं जेब से बरामद होना एवं रिश्वति राशि लेन–देन के वक्त सहपरिवादी से उसके दादाजी की जमीन का माप करने की एवज में मौके पर आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी द्वारा 3000/–रूपये की और मांग करना जिस पर सह परिवादी द्वारा राशि कम करने का आग्रह करने पर 2000/–रूपये लेने के लिये सहमत होना जो राशि सह परिवादी के पास नहीं होने के कारण सहपरिवादी ने अपने चाचा श्री आईदानराम पुत्र श्री मानाराम से प्राप्त कर आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी को देना। रिश्वति राशि 6,000/–रूपयें के अलावा उक्त राशि 2000/–रूपये रूबरू गवाहान के आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायीं जेब से ही बरामद होना, परिवादी के पैण्डिंग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज परिवादी श्री शिवलाल के पिता श्री मानाराम के नाम बिजारिया बावड़ी स्थित खेत खसरा नं. 545/2 में महेन्द्र कुमार बहक मानाराम व अमराराम बहक मानाराम के दो बेचान पत्र की फोटो प्रतियां मय दस्तावेज जो म्यूटेशन भरने बाबत लिये गये थे जो तिवरी स्थित पुरानी तहसील कार्यालय में आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी के कब्जे से बरामद होना इत्यादि से आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पटवारी पटवार मण्डल गगाड़ी अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल घेवड़ा, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 का जुर्म प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार पुत्र श्री बलवीरसिंह परिहार उम्र 28 वर्ष पेशा नौकरी निवासी नयापुरा मथानिया जिला जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल गगाड़ी अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल घेवड़ा, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(राजेन्द्रसिंह)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जोधपुर
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
स्पेशल यूनिट जोधपुर

# कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री जितेन्द्र परिहार, पटवारी, पटवार मण्डल गगाड़ी अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल घेवड़ा, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 71/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 568-71 दिनांक 26.03.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. जिला कलक्टर, जोधपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतितिरक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

26.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।